2025/509

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम)

सप्लाई विविध प्रकरण 21/2025 अनवान सरकार जरीये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर बनाम सतीश पंवार

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 21/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर		श्री सतीश पंवार पुत्र रमेश पंवार जाति दर्जी, निवासी विद्याशाला रामनर्मदा सोसायटी, चांद पोल जोधपुर फर्मः– राज मिष्ठान भण्डार, विद्याशाला रोड, चांदपोल के बाहर,जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थिति
1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री पुष्पराज पालीवाल प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर उपस्थित।
2. अप्रार्थी/अधिवक्ता अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 13/2/26

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी श्री सतीश पंवार पुत्र रमेश पंवार जाति दर्जी, निवासी विद्याशाला रामनर्मदा सोसायटी, चांद पोल जोधपुर फर्मः– राज मिष्ठान भण्डार, विद्याशाला रोड, चांदपोल के बाहर,जोधपुर के विरूद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 03 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज.)

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 17.10.2024 को मुखबीर की सूचना पर जिला प्रवर्तन अधिकारी मय निरीक्षक टीम कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा विद्याशाला रोड, चांदपोल के बाहर,जोधपुर स्थित फर्म राज मिष्ठान भण्डार की आकस्मिक जांच करने पर उपस्थित व्यक्ति ने अपना नाम सतीश पंवार पुत्र रमेश पंवार जाति दर्जी तथा स्वंय को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया । प्रतिष्ठान पर मौके पर 03 घरेलु गैस

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

File No.

सिलेण्डर (एच.पी.) का उपयोग मिष्ठान बनाते हुए व्यवसायिक गतिविधियों में किया जाना पाया गया ।

मौके पर पाये गये 03 घरेलु गैस सिलेण्डर के अवैध भण्डारण एंव व्यवसायिक उपयोग के संबध में अप्रार्थी से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ न ही कोई विधीक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। मौके पर अवैध रूप से भण्डारित कर व्यवसायिक उपयोग करते पाए गये 03 घरेलु गैस सिलेण्डरों का विवरण इस प्रकार है:–

क्र. स.	गैस कम्पनी का नाम	एस.आर. नम्बर	सिलेण्डर का वजन	कुल वनज मय गैस	गैस का वजन (किलो में)
1.	एच.पी.	0201681	15.2 कि.ग्रा.	20.0 कि.ग्रा.	4.8 कि.ग्रा.
2.	एच.पी.	988575	15.4 कि.ग्रा.	29.4 कि.ग्रा.	14.0 कि.ग्रा.
3.	एच.पी.	0149556	15.5 कि.ग्रा.	15.6 कि.ग्रा.	0.1 कि.ग्रा.

उक्त 03 घरेलु गैस सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया जाकर श्री राजेश पुत्र हरदेव जी जाति ब्राह्मण मैनेजर महावीर गैस सर्विस जोधपुर को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त 03 घरेलु गैस सिलेण्डरों, का अवैध भण्डारण व व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी द्वारा धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त 03 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय हाजा से अप्रार्थी को जारी नोटिस तामिली पश्चात अप्रार्थी का लिखित जवाब पेशी दिनांक 11.11.2024 को प्राप्त हुआ। अप्रार्थी द्वारा उक्त जबतसूदा घरेलु गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जाना बताते हुए सिलेण्डर रिलीज किये जाने का निवेदन किया। तत्पश्चात अगामी पेशी या वक्त बहस अप्रार्थी की ओर से कोई अधिवक्ता या अप्रार्थी स्वंय बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहे। वक्त सुनवाई आवाज दी गई परन्तु अप्रार्थी/अधिवक्ता अनुपस्थित।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज.)

प्रकरण में प्रार्थी विभागीय पेरोकार की बहस सुनी गयी। प्रार्थी विभागीय पेरोकार प्रवर्तन अधिकारी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रतिष्ठान पर वक्त जांच कुल 03 घरेलु गैस सिलेण्डरों को अवैध रूप से भण्डारित कर व्यवसायिक उपयोग में लिया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा 03 घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व व्यवसायिक उपयोग में लिये जाने से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है जिसके कारण जब्त उक्त 03 घरेलु

जिला कलक्टर (द्वितीय)

गैस सिलेण्डरों को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

"निष्कर्ष"

हमने विभागीय पेरौकार की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एंव मौका फर्द का अवलोकन किया । जिस अनुसार वक्त जांच प्रतिष्ठान पर 03 घरेलु गैस सिलेण्डर (एच.पी.) व्यवसायिक गतिविधियों हेतु उपयोग करते हुए पाए गए। मौका फर्द अनुसार जब्तसुदा सिलेण्डरों में से 02 सिलेण्डरों में गैस की मात्रा निर्धारित माप से कम पायी गई व अन्य 1 सिलेण्डर भरा हुआ पाया गया, जिससे स्पष्ट है कि उक्त घरेलु गैस सिलेण्डरों का प्रतिष्ठान पर मिष्ठान इत्यादि बनाने हेतु अवैध व्यवसायिक उपयोग किया गया है एंव भरे हुए सिलेण्डर को व्यवसायिक उपयोग की मंशा से अवैध रूप से प्रतिष्ठान पर भण्डारित किया गया। उक्तानुसार अप्रार्थी द्वारा प्रतिष्ठान पर घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्यों में उपयोग किया जाना/अवैध भण्डारित करना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तसुदा 03 घरेलु गैस सिलेण्डर को राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि जब्तसुदा 03 घरेलु गैस सिलेण्डर (एच.पी.) को राज्यसात कर नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/2/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित R.A.S.)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)